की गई सिफारिशें आयोग ने स्वीकार कर ली हैं तथा इन पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए इन्हें विश्वविद्यालयों में परिचालित किया गया है ।

दिल्ली की हरिजन बस्ती में अस्पताल खोलना

617. **श्री मनी राम बागड़ी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली की एक हरिजन बस्ती में कोई अस्पताल खोला है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) उन क्षेत्रों में जहां हरिजन और निर्धन व्यक्ति रहते हैं कितने अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लस्कर) : (क) जी नहीं, ऐसी कोई बस्ती नही है, जिसमें केवल हरिजन ही रहते हों ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा निम्नलिखित पुनर्वास कालोनियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक एक सौ पलंगों वाले सात अस्पताल बनाने का विचार है । ये अस्पताल विशेष रूप से कम आय वाले लोगों को सेवाएं प्रदान करेंगे ।

1. मंगोलपुरी—पुनर्वास कालोनी
2. खिचड़ीपुर—पुनर्वास कालोनी
3. जफरपुर गांव
4. छ नरपुर गांव
5. पूथखुर्द गांव
6. नांगली पूना गांव
7. जांहगीरपुरी—पुनर्वास कालोनी ।

Talcher-Bimalagarh Line

618. SHRI A. C. DAS: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to provide rail link between Talcher and Bimalagarh via Bark in Orissa;

(b) if so, when the above railway line is going to be constructed;

(c) what is the total length of this line;

(d) whether its construction will be taken up during the current financial year; and

(e) the progress made so far in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (e). A survey carried out in 1970 revealed that a Broad Gauge link from Talcher to Bimalagarh would be 136 Kms. in length and would yield a very poor return. The project was, therefore, dropped.

Deterioration of Bus Service on Route Nos. 780 and 660

619. SHRI RAM SINGH SHAKYA: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the very erratic and irregular service of D.T.C. buses plying on route Nos. 780 and 660 and of late the services have been very badly deteriorated;

(b) if so, the average number of trips missed by these buses during the months of June and July, 1981;

(c) whether it is a fact that at times no service is operated on Route No. 780 between 4.10 to 5.10 p.m. and persons going to Palam Airport are stranded as happened on the 30th July, 1981; and

(d) the steps which Government propose to take not only to improve these services but also to raise their frequency particularly on the longer route from Super Bazar to Palam Airport (Route No. 780)?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) and (b). The services of route Nos. 780 and 660 have been fairly regular, as can be seen from the following operations during the months of June and July 1981:

Route No.	Month	No. of trips			Operational Ratio
		Schedule	Operated	Missed	
660	June '81	1864	1762	102	95%
	July '81	1912	1844	68	96%
780	June '81	2170	2130	40	98%
	July '81	2100	2051	49	98%

(c) No, only the trip provided at 4.40 p.m. dated 30-7-1981 could not be rendered, Hence there was no service between 4 12 and 5.05 p.m.

(d) The existing services provided on the routes are considered satisfactory and adequate. However, it is the constant effort of the Corporation to improve overall operation of its services in the city including the services of route No. 780.

दिल्ली के कालेजों में दाखिला

620. श्री भीकू राम जैन : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के कालेजों में विज्ञान, कला और वाणिज्य विषयों में सभी विद्यार्थी प्रवेश नहीं पा सके;

(ख) क्या कालेजों में प्रवेश पाने के इच्छुक सभी विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिये अंकों की अपेक्षित न्यूनतम प्रतिशतता घटा दी गई थी और स्थान बढ़ा दिये गये थे; और

(ग) इस वर्ष कितने विद्यार्थी प्रवेश नहीं पा सके और इस संबंध में तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ग) . दाखिलों की अधिक संख्या से निपटने के उद्देश्य से, इस वर्ष सीनियर स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा में अधिक पास प्रतिशतता के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह निर्णय किया कि यदि भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हों तो कालेजों को पिछले वर्ष (1977–78) के अधिकतम स्तर से 10 प्रतिशत अधिक छात्र दाखिल करने चाहिएं। वर्ष 1977-78